13.7.24

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत
में पेश हुई। वकील पक्षकारान एवं
पक्षकारान हाजिर हैं। मेरे द्वारा पत्रावली का
अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान
द्वारा प्रस्तुत के राजीनामा [illegible]
मान का अनुरोध किया गया।

वकील वादी व प्रतिवादीगण
[illegible] सुने, राजीनामा के
आधार पर लोक अदालत की भावना
से वाद, राजीनामा स्वीकार किया जाकर
अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है, डिक्री
विधिवत प्रपत्र से लिखा जाकर शा.म.
किया गया।

पत्रावली [illegible] कीजाकर
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]
बाबूलाल
रामविलास

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 130/2021 तारीख दायरा 04.10.2021

उनवान

1. गजानन्द पुत्र लाला जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।
2. पन्नालाल पुत्र माधो जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।
3. पुष्पाबाई पुत्री माधो जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।
4. धन्नालाल पुत्र लाला जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।
5. मृतक भंवरलाल पुत्र लटूर जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद जरिये कायम मुकामान –

   5/1. लेखराज पुत्र भंवरलाल,

   5/2. नरेन्द्र पुत्र भंवरलाल,

   5/3. सावित्रिबाई पुत्री भंवरलाल,

   5/4 मोत्याबाई पत्नि भंवरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तह. सांगोद।
6. हेमराज पुत्र लटूर जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।
7. रामप्रताप पुत्र लटूर जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।
8. रामबिलास पुत्र लटूर जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।
9. जसोदा पुत्री लटूर जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।
10. मंजूबाई पुत्री लटूर जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।
11. पुष्पाबाई पत्नि लटूर जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।
12. गुलशन पुत्र हरिराम जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।
13. एकता नाबालिग पुत्री रमेश जाति मीणा,
14. हर्षिता नाबालिग पुत्री रमेश जाति मीणा,
15. आसना नाबालिग पुत्री रमेश जाति मीणा जरिये वली संरक्षक माता संजूबाई निवासीगण ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।
16. संजूबाई पत्नि रमेश जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।
17. विक्रम पुत्र घनश्याम जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

18. सरित पुत्री घनश्याम जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।

19. सज्जनबाई पत्नि घनश्याम जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।

20. धन्नीबाई पत्नि रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।

21. गीताबाई पुत्री रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।

22. विमला पुत्री रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।

23. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।

24. रामजानकी पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।

25. पानाबाई पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।

26. रामधनी पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।

– वादीगण

बनाम

1. प्रेमराज पुत्र रामरतन जाति मीणा निवासी ग्राम ढ़ढिया तहसील सांगोद।
2. सुरजमल पुत्र रामरतन जाति मीणा निवासी ग्राम नांगलहेडी तहसील सांगोद।
3. द्वारकादेवी पत्नि रामप्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।
5. कशकलाँ बाई पत्नि रामस्वरूप जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

दिनांक :– 13.07.2024

श्री बहादुर सिंह (वकील वादीगण)

श्री जितेन्द्र कुमार सुमन (प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एवं 5 की ओर से)

–– निर्णय ––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम नांगलहेडी पटवार हलका कुराडियाखुर्द तह0 सांगोद की खाता सं0 34 खसरा सं0 148 रकबा 1.35 हैक्टेयर, खसरा सं0 149

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा सं0 155 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा सं0 156 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा सं0 157 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा सं0 158 रकबा 0.42 हैक्टेयर कुल 6 किता की 5.03 है. आराजी एवं माल ग्राम ठीमली पटवार हलका विनोदखुर्द तह0 सांगोद की खाता सं0 नई 42 के खसरा सं0 18 रकबा 3.20 हैक्टेयर कुल 1 किता की 3.20 है. आराजी एवं माल ग्राम मालीहेडा पटवार हलका विनोदखुर्द की खाता सं. नई 132 के खसरा सं0 208 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा सं0 426 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा सं0 427 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा सं0 454 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा सं0 457 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा सं0 458 रकबा 1.61 हैक्टेयर, खसरा सं0 459 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा सं0 46 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा सं0 461 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा सं0 50 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा सं0 52 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल 11 किता कि 6.37 हैक्टेयर आराजीयात स्थित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से परिवारिक विभाजन कर लिया है तथा पारिवारिक विभाजन से प्राप्त अपने अपने हिस्से की आराजी पर शांति पूर्वक काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

यह कि सहखातेदार गोपीबाई पत्नि स्व. लाला का स्वर्गवास हो जाने से तथा उसके विधिक वारिस सहखातेदार होन से उसका नाम खाते से डिलीट किया जाना आवश्यक है। सहखातेदार मथरी बाई पुत्री लाला लाऔलाद फौत हो गई है जिसके विधिक वारिसान वादीगण ही हैं। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी सं. 2 का नाम चन्दा पुत्र माधो, मन्नालाल पुत्र माधो व पन्ना पुत्र लाला गलत दर्ज हो रहा है जबकि वादी का वास्तविक नाम पन्नालाल पुत्र माधो है, ऐसी स्थिति में उक्त नाम दुरस्त करवाकर पन्नालाल पुत्र माधो दर्ज करवाना आवश्यक हुआ है। वादी सं. 1 का नाम गजानन्द पुत्र पन्ना दर्ज हो रहा है जिसके स्थान पर वास्तविक नाम गजानन्द पुत्र लाला दुरस्त करवाना आवश्यक हुआ है। इसी प्रकार वादी सं. 3 पुष्पाबाई पुत्री लालाल को दुरस्त करवाकर वास्तविक नाम पुष्पाबाई पुत्री माधो दुरस्त किया जाना आवश्यक हुआ है। माल ग्राम मालीहेडा की आराजी में वादी सं.24 के गलत नाम जानकीबाई को दुरस्त कर रामजानकी दर्ज किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी का वादीगण अपनी सुविधा अनुसार विकास कार्य करवाना चाहते हैं, लेकिन संयुक्त खाता

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

होने से अपने कब्जे काश्त की आराजी पर विकास कार्य भी नहीं करवा पा रहे हैं तथा विकास कार्य करवाने में सरकार से मिलने वाली ऋण सुविधा व अन्य सुविधा व अनुदान राशि भी प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं, जिससे वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण आपसी सहमति से मौके पर कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए राजस्व रेकार्ड अनुसार घोषणा करवाने एवं बंटवारे की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा तहसील कार्यलय में चलकर बंटवारा करवाने में सहयोग नहीं किया तथा पटवारी हलका महोदय द्वारा भी वादीगण के कब्जे काश्त अनुसार हिस्सा दर्ज करने में अपनी असमर्थता जाहिर की तथा माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहने पर वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादर पारित करने की कृपा करें –

माल ग्राम नांगलहेडी पटवार हलका कुराडियाखुर्द तह0 सांगोद की खाता सं0 34 खसरा सं0 148 रकबा 1.35 हैक्टेयर, खसरा सं0 149 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा सं0 155 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा सं0 156 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा सं0 157 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा सं0 158 रकबा 0.42 हैक्टेयर कुल 6 किता की 5.03 है. आराजी एवं माल ग्राम ठीमली पटवार हलका विनोदखुर्द तह0 सांगोद की खाता सं0 नई 42 के खसरा सं0 18 रकबा 3.20 हैक्टेयर कुल 1 किता की 3.20 है. आराजी एवं माल ग्राम मालीहेडा पटवार हलका विनोदखुर्द की खाता सं. नई 132 के खसरा सं0 208 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा सं0 426 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा सं0 427 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा सं0 454 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा सं0 457 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा सं0 458 रकबा 1.61 हैक्टेयर, खसरा सं0 459 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा सं0 46 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा सं0 461 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा सं0 50 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा सं0 52 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल 11 किता कि 6.37 हैक्टेयर आराजीयात में पक्षकारान की मौके पर आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन अनुसार एवं काबिज काश्त अनुसार आराजी का विभाजन किया जाकर विभाजन की डिक्री पारित फरमाई जावे तथा राज लगान का पृथक–पृथक अंकन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरस्त किया जावे।

साथ ही सहखातेदार गोपीबाई पत्नि स्व. लाला का

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

स्वर्गवास हो जाने से तथा उसके विधिक वारिस सहखातेदार होन से एवं सहखातेदार मथरी बाई पुत्री लाला लाऔलाद फौत होने से उनके नाम खाते से डिलीट किये जाने के आदेश पारित फरमाये जावें। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी सं. 2 का नाम दुरस्त करवाकर पन्नालाल पुत्र माधो, वादी सं. 1 का नाम दुरस्त करवाकर गजानन्द पुत्र लाला, वादी सं. 3 का नाम दुरस्त करवाकर पुष्पाबाई पुत्री माधो एवं वादी सं. का नाम 24 का नाम दुरस्त कर रामजानकी दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एवं 5 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार सुमन द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रकरण में तहसीलदार सांगोद का जवाब प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त समस्त पक्षकारान द्वारा सामसी सहमति से राजीनामा तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया। किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामील पत्रावली किया गया। दौराने वाद प्रतिवादी सं. 5 की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान को वादी सं. 5/1 ता 5/4 बनाया जाकर रेकार्ड पर लिया गया। प्रतिवादी कशकला बाई को प्रार्थना पत्र ओदश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत प्रतिवादी सं. 5 के रूप में वाद में पक्षकार बनाया गया।

इसके उपरान्त पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में एकतरफा बहस करते हुए इकबाली जवाब दावा एवं राजीनामे आदि के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 4 फॉमर्ल पक्षकार है। प्रकरण में इकबाली जवाब दावा एवं राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, इकबाली जवाब दावा, राजीनामा आदि के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किये जाते हैं कि –

वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम नांगलहेडी पटवार हलका कुराडियाखुर्द तह0 सांगोद की खाता सं0 34 खसरा सं0 148 रकबा 1.35 हैक्टेयर, खसरा सं0 149 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा सं0 155 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा सं0 156 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा सं0 157 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा सं0 158 रकबा 0.42 हैक्टेयर कुल 6 किता की 5.03 है. आराजी एवं माल ग्राम ठीमली पटवार हलका विनोदखुर्द तह0 सांगोद की खाता सं0 नई 42 के खसरा सं0 18 रकबा 3.20 हैक्टेयर कुल 1 किता की 3.20 है. आराजी एवं माल ग्राम मालीहेडा पटवार हलका विनोदखुर्द की खाता सं. नई 132 के खसरा सं0 208 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा सं0 426 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा सं0 427 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा सं0 454 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा सं0 457 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा सं0 458 रकबा 1.61 हैक्टेयर, खसरा सं0 459 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा सं0 46 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा सं0 461 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा सं0 50 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा सं0 52 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल 11 किता कि 6.37 हैक्टेयर आराजीयात में पक्षकारान को राजीनामे के आधार पर निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित कर खाता विभाजित किया जाता है –

1. वादी सं.1 गजानन्द पुत्र लाला के हिस्से की आराजी –

ग्राम	खाता	खसरा नं.	रकबा है.
ठीमली	नई 42	18	3.20 है. में से 0.53 है. पश्चिम दिशा की
नांगलहेडी	नई 34	157	0.45 है. संपूर्ण
मालीहेडा	नई 132	427	0.50 है. संपूर्ण
		208	0.25 है. में से 0.06 है. पूर्वी मध्य
		46	0.04 है. में से 0.01 पूर्वी
		52	0.06 है. में से 0.02 है. उत्तरी

2. वादी सं.2 पन्नालाल पुत्र माधो के हिस्से की आराजी –

ग्राम	खाता	खसरा नं.	रकबा है.
ठीमली	नई 42	18	3.20 है. में से 0.80 है. मध्य दिशा
नांगलहेडी	नई 34	149	1.20 है. में से 0.05 है. दक्षिणी
		156	1.14 है. संपूर्ण
		155	0.47 है. में से 0.05 है. पश्चिमी उत्तरी

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

मालीहेडा	नई 132	208	0.25 है. में से 0.06 है. पश्चिमी मध्य
		46	0.04 है. में से 0.01 पूर्वी मध्य
		457	1.01 है. में से 0.85 है. पश्चिमी
		458	1.61 है. में से 0.60 है. पूर्वी

3. वादी सं. 3 पुष्पाबाई पुत्री माधो के हिस्से की आराजी –

ग्राम	खाता	खसरा नं.	रकबा है.
मालीहेडा	नई 132	457	1.01 है. में से 0.16 है. पूर्वी

4. वादी सं. 4 धन्नालाल पुत्र लाला के हिस्से की आराजी –

ग्राम	खाता	खसरा नं.	रकबा है.
मालीहेडा	नई 132	459	0.62 है. में से 0.50 है. उत्तरी

5. वादी सं. 5/1 लेखराज पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/36, वादी सं. 5/2 नरेन्द्र पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/36, वादी सं. 5/3 सावित्री बाई पुत्री भंवरलाल हिस्सा 1/36, वादी सं. 5/4 मोत्याबाई पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/36, वादी सं. 6 हेमराज हिस्सा 1/9, वादी सं. 7 रामप्रताप हिस्सा 1/9, वादी सं. 8 रामबिलास हिसा 1/9 पुत्रान लटूर, वादी सं. 9 जसोदा हिस्सा 1/9, वादी सं. 10 मंजूबाई हिस्सा 1/9 पुत्रियां लटूर, वादी सं.11 पुष्पाबाई पत्नि लटूर हिस्सा 1/9, वादी सं. 12 गुलशन पुत्री हरिराम हिस्सा 1/9, वादी सं. 13 एकता हिस्सा 1/36, वादी सं. 14 हर्षिता हिस्सा 1/36, वादी सं. 15 अनुसूईया हिस्सा 1/36 पुत्रियां रमेश, वादी सं. 16 संजूबाई पत्नि रमेश हिस्सा 1/36 आराजी –

ग्राम	खाता	खसरा नं.	रकबा है.
ठीमली	नई 42	18	3.20 है. में से 0.75 है. पूर्वी
नांगलहेडी	नई 34	148	1.35 है. में से 1.25 है. उत्तरी
मालीहेडा	नई 132	208	0.25 है. में से 0.07 है. पूर्वी
		46	0.04 है. में से 0.01 पश्चिमी
		52	0.06 है. में से 0.02 है. दक्षिणी मध्य
		426	0.57 है. संपूर्ण
		454	0.91 है. संपूर्ण

6. वादी सं. 17 विक्रम पुत्र घनश्याम हिस्सा 1/12, वादी सं. 18 सरिता पुत्री घनश्याम हिस्सा 1/12, वादी सं. 19 सज्जनबाई पत्नि घनश्याम हिस्सा 1/12, वादी सं. 20

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

धन्नीबई पत्नि रामकरण हिस्सा 1/4, वादी सं. 21 गीताबाई पुत्री रामकरण हिस्सा 1/4, वादी सं. 22 विमला पुत्री रामकरण हिस्सा 1/4 आराजी –

ग्राम	खाता	खसरा नं.	रकबा है.
मालीहेडा	नई 132	458	1.61 है. में से 0.52 है. पश्चिमी मध्य
		50	0.02 है. संपूर्ण

7. वादी सं. 23 बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/4, वादी सं. 24 रामजानकी पुत्री जगन्नाथ हिस्सा 1/4, वादी सं. 25 पानाबाई पुत्री जगन्नाथ हिस्सा 1/4, वादी सं. 26 रामधनी पुत्री जगन्नाथ हिस्सा 1/4 आराजी –

ग्राम	खाता	खसरा नं.	रकबा है.
ठीमली	नई 42	18	3.20 है. में से 0.80 है. पूर्वी मध्य
मालीहेडा	नई 132	208	0.25 है. में से 0.06 है. पश्चिमी
		46	0.04 है. में से 0.01 पश्चिमी मध्य
		52	0.06 है. में से 0.02 है. दक्षिणी
		461	0.78 है. संपूर्ण
		458	1.61 है. में से 0.49 है. पश्चिमी
		459	0.62 है. में से 0.12 है. दक्षिणी

8. प्रतिवादी सं. 1 प्रेमराज पुत्र रामरतन के हिस्से की आराजी –

ग्राम	खाता	खसरा नं.	रकबा है.
नांगलहेडी	नई 34	158	0.42 है. संपूर्ण

9. प्रतिवादी सं. 2 सूरजमल पुत्र रामरतन के हिस्से की आराजी –

ग्राम	खाता	खसरा नं.	रकबा है.
नांगलहेडी	नई 34	155	0.47 है. में से 0.42 है. पूर्वी

10. प्रतिवादी सं. 3 द्वारकीदेवी पत्नि रामप्रताप के हिस्से की आराजी –

ग्राम	खाता	खसरा नं.	रकबा है.
नांगलहेडी	नई 34	148	1.35 है. में से 0.10 है. दक्षिणी
		149	1.20 है. में से 1.15 है. उत्तरी

11. प्रतिवादी सं. 5 कशकला के हिस्से की आराजी –

ग्राम	खाता	खसरा नं.	रकबा है.
ठीमली	नई 42	18	3.20 है. में से 0.32 है. पश्चिमी मध्य

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

उक्तानुसार पक्षकारान को विवादित आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषण के अनुक्रम में खाता विभाजित कर राज लगान का अंकन भी पृथक से किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दारमद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)
(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)
(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद